न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 09 / 2022 (2022 / 162)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पिन्टू मेघवाल पुत्र तुलसीराम मेघवाल, उम्र 26 वर्ष (एफबीओ / विक्रेता), फर्म–मैसर्स–महादेव किरणा एण्ड सब्जी भण्डार, तनावड़ा फाटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – 132, मेघवालों का बास, तनावडा फांटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. प्रेमाराम मेघवाल पुत्र तुलसीराम मेघवाल, उम्र 35 वर्ष (मालिक) फर्म–मैसर्स–महादेव किरणा एण्ड सब्जी भण्डार, तनावड़ा फाटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – 132, मेघवालों का बास, तनावडा फांटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. भरत कवाड पुत्र मांगीलाल कवाड, उम्र 33 वर्ष (थोक विक्रेता / मालिक), फर्म–मैसर्स–हिमालय ट्रेडिंग, वी–द्वितीय, प्रथम तल, ऑफिस संख्या 03, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–336, छतारा स्कूल वाली गली, धुन्धाडा, जिला जोधपुर।
4. अशोकभाई लक्ष्मणभाई लोडालिया (थोक विक्रेता / मालिक), फर्म–मैसर्स–रूषभ ट्रेडिंग कम्पनी, खाडियार मन्दिर के पास, प्लॉट संख्या 29, इन्द्रप्रस्थ सोसायटी, निकोल ओढव रोड़, नरोदा रोड़, निकोल, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद।
5. दिलीपकुमार हंसराजभाई रावल पुत्र हंसराज रूपल रावल (निर्माता / डायरेक्टर / नोमिनी) फर्म–मैसर्स–श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, उमरदासी रिवर के पास, कनोदार ब्रिज, अहमदाबाद हाइवे, कनोदार, तहसील पालनपुर, जिला बनासकाठा, पालनपुर, गुजरात।
6. फर्म–मैसर्स–श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, उमरदासी रिवर के पास, कनोदार ब्रिज, अहमदाबाद हाइवे, कनोदार, तहसील पालनपुर, जिला बनासकाठा, पालनपुर, गुजरात।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ (अप्रार्थीगण)।

–:आदेश :– दिनांक :– 04.04.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 28.01.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फ फर्म–मैसर्स–महादेव किरणा एण्ड सब्जी भण्डार, तनावड़ा फाटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पर व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता / मालिक की हैसियत से पिन्टू मेघवाल पुत्र तुलसीराम मेघवाल, निवासी – 132,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:55 IST
Reason: SelfAttested

मेघवालों का बास, तनावडा फांटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को किराणा सामान एवं घी (श्रीमूल) आदि विक्रय कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2022 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होनें खाद्य अनु0 22214005003304, जीएसटी प्रमाण–पत्र, फर्म के मालिक प्रेमाराम मेघवाल एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान की रैक्स पर घी (श्रीमूल) 500 एम0 एल0 के 20 पैकेट्स आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 720 /– नगद देकर घी (श्रीमूल) 500 एम0 एल0 के 04 पैकेट्स वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त घी (श्रीमूल) के 04 पैकेट्स हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2765 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2765 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2765 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 31.01.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:55 IST
Reason: SelfAttested

एम–2765 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 28.01.2022 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 28.01.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 187–188 दिनांक 24.02.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल.एस./ 346/एक्ट/2022/447 दिनांक 23.02.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्रीमूल) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard/Does not conform) and Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sale) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat का होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थीगण ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट में बतालाया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्रीमूल) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard/Does not conform) and Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sale) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat का होना पाया गया जबकि प्रार्थी ने रिपोर्ट में यह नहीं बतलाया कि जो foreign fat उपस्थित मिली है वह किस प्रकार की है। अतः प्रार्थी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह अपूर्ण होने से प्रकरण निरस्त योग्य है।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु गाय का घी (श्रीमूल) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल.एस./ 346/एक्ट/2022/447 दिनांक 23.02.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (श्रीमूल) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard/Does not conform) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) (v) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 एवं धारा 58 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:55 IST
Reason: SelfAttested

<u>आदेश</u>

अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 5,000/– अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2023/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. पिन्टू मेघवाल पुत्र तुलसीराम मेघवाल, उम्र 26 वर्ष (एफबीओ/विक्रेता), फर्म–मैसर्स–महादेव किरणा एण्ड सब्जी भण्डार, तनावड़ा फाटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – 132, मेघवालों का बास, तनावडा फांटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. प्रेमाराम मेघवाल पुत्र तुलसीराम मेघवाल, उम्र 35 वर्ष (मालिक) फर्म–मैसर्स–महादेव किरणा एण्ड सब्जी भण्डार, तनावड़ा फाटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – 132, मेघवालों का बास, तनावडा फांटा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
5. भरत कवाड पुत्र मांगीलाल कवाड, उम्र 33 वर्ष (थोक विक्रेता/मालिक), फर्म–मैसर्स–हिमालय ट्रेडिंग, वी–द्वितीय, प्रथम तल, ऑफिस संख्या 03, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी–336, छतारा स्कूल वाली गली, धुन्धाडा, जिला जोधपुर।
6. अशोकभाई लक्ष्मणभाई लोडालिया (थोक विता/मालिक), फर्म–मैसर्स–रूषभ ट्रेडिंग कम्पनी, खाडियार मन्दिर के पास, प्लॉट संख्या 29, इन्द्रप्रस्थ सोसायटी, निकोल ओढव रोड़, नरोदा रोड़, निकोल, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद।
7. दिलीपकुमार हंसराजभाई रावल पुत्र हंसराज रूपल रावल (निर्माता/डायरेक्टर/नोमिनी) फर्म–मैसर्स–श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, उमरदासी रिवर के पास, कनोदार ब्रिज, अहमदाबाद हाइवे, कनोदार, तहसील पालनपुर, जिला बनासकाठा, पालनपुर, गुजरात।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:01:55 IST
Reason: SelfAttested